

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन/इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/  
इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन/लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन  
एवं बिहार निःशक्तता पेंशन के निमित्त विहित आवेदन प्रपत्र

(दो प्रतियों में)

पेंशन योजना का नाम .....

फोटो

1. आवेदक/आवेदिका का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. पूरा पता : ग्राम/मुहल्ला : ..... पंचायत/नगर वार्ड : .....  
डाकघर : ..... प्रखण्ड/नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत : .....  
थाना : ..... अनुमण्डल : ..... जिला : .....
4. कोटि ; अनु० जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अति पिछड़ी जाति/सामान्य : .....
5. आवेदक का पहचान चिन्ह : .....
6. पेंशन अर्हता संबंधी सूचना  
(क) आयु (आवेदन पत्र देने के दिन) : .....  
(ख) आयु :- 1. बी०पी०एल० का क्रमांक..... प्राप्तांक.....  
2. वार्षिक आय (राष्ट्रीय पेंशन योजना की स्थिति में वांछित नहीं) : .....  
(ग) विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत - .....
7. मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि  
(i) मेरा परिवार यथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है ।  
(ii) मैं वृद्ध / विधवा / विकलांग हूँ ।  
(iii) मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना अन्तर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है ।  
(iv) मैं (नाम) ..... जिला ..... बिहार राज्य  
का निवासी/अधिवासी हूँ ।  
(vi) मुझे ..... ग्राम पंचायत के अधीन ..... डाकघर से  
पेंशन भुगतान किया जाय ।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण सही है । यदि कोई ब्यौरा गलत/झूठा पाया जाय तो पेंशन के रूप में भुगतान की गयी राशि राजस्व के बकाये की तरह मुझसे वसूल कर ली जाय ।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान :

तिथि :

आवेदक/आवेदिका के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर

## प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा

मैंने आवेदन में अंकित विवरण की जाँच की है और सही पाकर पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है। इन्हें डाकघर ..... से पेंशन भुगतान किया जाना सुविधाजनक होगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी

.....

अर्हताएँ :-

क्र०	योजना	आय	आयु	विकलांगता	निवासी/ अधिवासी
1.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	बी०पी०एल०	60 वर्ष या उससे अधिक	-	3 वर्ष
2.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	बी०पी०एल०	40-59 आयु वर्ग	-	3 वर्ष
3.	इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन	बी०पी०एल०	18-59 आयु वर्ग	80% से अन्यून	3 वर्ष
4.	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन	अधिकतम 60000/- वार्षिक	18 वर्ष से अधिक	-	10 वर्ष
5.	बिहार निःशक्तता पेंशन			40% से अन्यून	10 वर्ष